न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–195/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00163)

1. मालाराम पुत्र चौखाराम, जाति माली, निवासी दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्

उपस्थितिः–

1. **श्री उम्मेदराज सैनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को व दस्तावेजात पर ठीक प्रकार से मनन किये बिना ही अपीलान्ट का प्रकरण खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है क्योंकि उक्त पत्रावली पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष इस निर्देश के साथ भेजी गई कि दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाकर नपती के बाद नियमानुसार गुणावगुण के बाद निर्णय पारित किया जावें जिस पर दिनांक 26.04.2008 को हल्का पटवारी उपस्थित मौतवीरान के समक्ष मौके की स्थिति को देखा तो वहॉ पर अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाना नही पाया गया। इस प्रकार से मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2008 के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी नही पाया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में हल्का पटवारी को आदेश दिया कि भौतिक बेदखली मय दैनिक नन्दनी की रिपोर्ट के अनुसार गवाहन के साक्ष्य के साथ पेश किया जावें और अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 19.02.2010 द्वारा प्रकरण पुनः विधिनुकूल निर्णय पारित किये जाने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास भेजने के निर्देश दिया है जो निर्णय निरस्तनीय है क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2008 में अपीलान्ट को अतिक्रमी नही माना है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को हल्का पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही को निरस्त किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2010 एवं नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 को निरस्त फरमाये जाने का अदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा प्रकरण में 1 फीट अतिक्रमण को नाप काउचित तरीका नही मानते हुऐ अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने तहसीलदार उदयपुवाटी का स्वयं मौका पर नपती कर पुन विधिनुकूल निर्णय हेतु रिमाण्ड ही किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपने हक, हकूक, अधिकारों के सम्बन्ध में अधीनस्थ तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत कर सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2010 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2010 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
19/1/23